HRACIAN USIUSION Che Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2014/माघ 9, 1935

No. 230]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2014/MAGHA 9, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसुचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2014

का.आ. 282(अ).—यत:, मै. राहेजा एसईजेड लिमिटेड (पूर्व में मै. राहेजा हरियाणा एसईजेड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड) जो हरियाणा राज्य में एक निजी संगठन है, ने ग्राम हमीरपुर, वजीरपुर, खेटावास एवं सैदपुर, जिला गुड़गाँव, हरियाणा राज्य में इंजीनियरिंग सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जैसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था:

और यत: केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 10 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 466 (अ) द्वारा 103.0154 हेक्टेयर क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और, यत:, मै. रहेजा एसईजेड लिमिटेड ने उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन के सम्पूर्ण 103.0154 हेक्टेयर क्षेत्र को अनाधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

अत: अब, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उन सभी बातों को छोड़कर जो उपरोक्त सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करती है ऐसे निरसन के पूर्व की गई हैं या किए जाने से निवारित की गई हैं।

[फा. सं. एफ. 1/28/2007-एसईजेड] राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2014

S.O. 282(E).— Whereas, M/s. Raheja SEZ Ltd. (Formerly M/s. Raheja Haryana SEZ Developers Private Limited), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Engineering at Village Hamirpur, Wazirpur, Khentawas & Saidpur, District Gurgaon in the state of Haryana;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 103.0154 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 466(E) dated 10th March, 2008;

And, Whereas, M/s. Raheja SEZ Ltd. has proposed to denotify the entire area of 103.0154 hectares of the above Special Economic Zone;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/28/2007-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.